

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर बैतूल

प्रकरण क्र. 0055/अ-20(3)/2021-22 मौजा- चापड़ा रैयत तहसील शाहपुर

वन मंडलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमंडल बैतूल बनाम म.प्र. शासन

1	2	3
16 /12/2021	प्रकरण प्रस्तुत। अवलोकन किया। नजूल अधिकारी [अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर] से प्रतिवेदन के साथ प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय दिनांक 15/12/2021 के अनुसार मौजा चापड़ा रैयत तहसील शाहपुर की नजूल भूमि खसरा नंबर 17/1 रकबा 54.140 हेक्टेयर में से रकबा 3.974 है., जिसे संलग्न नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, को घोघरी सिंचाई परियोजना की डूब से प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण (क्षतिपूर्ति वनीकरण) हेतु वन विभाग, म.प्र. शासन को हस्तांतरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला नजूल निर्वर्तन समिति का निर्णय एवं संलग्न नक्शा 'प्रदर्श पी-1' आदेश का एक भाग होगा। 2- आदेश की प्रति वन मंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बैतूल एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बैतूल को भेजी जावे। एक प्रति तहसीलदार शाहपुर को अभिलेख दुरुस्ती कर आवेदक विभाग को मौके पर कब्जा प्रदान करने हेतु भेजी जावे। तहसीलदार शाहपुर उक्त कार्यवाही कर 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। अभिलेखागार भेजा जावे। (अमनवीर सिंह वैस) कलेक्टर बैतूल	



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक:- 0055/अ-20(3)/2021-22/

बैतूल दिनांक 15/12/2021

जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक के लिये संक्षेपिका

विषय:- घोघरी सिंचाई परियोजना की डूब से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि राजस्व भूमि का हस्तांतरण।

वन मंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा, घोघरी परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु, मौजा चापड़ा रैयत तहसील शाहपुर में स्थित खसरा नंबर 17/1 रकबा 54.140 हे. में से 3.974 हे. शासकीय राजस्व भूमि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत प्ररूप एक में On line आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विधिवत् प्रकरण संस्थित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर को जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतरित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर द्वारा विषयांकित के संबंध में तहसीलदार शाहपुर से जाँच प्रतिवेदन आहूत किया जाकर, प्रतिवेदित किया गया है कि, प्रकरण में ईशतहार जारी करके आपति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत पहावाड़ी से अभिमत लिया गया, जिसमें भूमि आवंटन किये जाने में सहमति दी गई।

प्रकरण में संलग्न राजस्व अभिलेख खसरा की प्रति के अनुसार प्रश्नाधीन स्थित खसरा नंबर 17/1 रकबा 54.140 हेक्टेयर (शासकीय) शासकीय - छोटे झाड़ का जंगल दर्ज है। खसरा के कालम 12 की प्रविष्टि के अनुसार यह भूमि 'चराई एवं जलाउ लकड़ी' के लिये नियुक्त है। कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0004/अ-59/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 30/11/2021 से मेंढा एवं घोघरी सिंचाई परियोजना की डूब से प्रभावित भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कुल भूमि 48.254 हे. को निस्तार मद से पृथक किया गया है।

आवेदित प्रयोजन हेतु चयनित भूमि मास्टर प्लान के अंतर्गत नहीं आती है तथा प्रस्तावित भूमि का उपयोग वन विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। आवेदित भूमि का निस्तार प्रयोजन से व्यपवर्तन किया जा चुका है, अर्थात् उक्त भूमि अब निस्तार प्रयोजन हेतु नियुक्त नहीं है। आस पास एवं ऊपर धार्मिक स्थान, श्मशान, कब्रिस्तान आदि नहीं है। अन्य कोई आवेदक नहीं है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवेदित भूमि की आवश्यकता नहीं है। परियोजना हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि 3.974 हे. हस्तांतरण के पश्चात शेष रकबा दो प्रतिशत से अधिक है, किसी अन्य परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है, भवन निर्माण नहीं होने से तल क्षेत्र अनुपात लागू नहीं है। उक्त आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर द्वारा पर मौजा चापड़ा रै. तहसील शाहपुर में स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 17/1 रकबा 54.140 हे. में से 3.974 हेक्टेयर आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटन / हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के प्रावधानों के अनुसार विषयांकित के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

(1)- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका -3(ग) के अनुसार संहिता की धारा 2(1) (य-3) में यथापरिभाषित समस्त दखल रहित भूमि तथा राज्य शासन के द्वारा गैर कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि को नजूल भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा नगरेत्तर क्षेत्र में संहिता की धारा 237 के अंतर्गत निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई भूमि और धारा 233-क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि को नजूल भूमि नहीं माना गया है।

.....कृ.पृ.उ.

.....पूर्व पृष्ठ से निरंतर

(2)- कंडिका-11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को जिला स्तर पर नजूल भूमि हस्तांतरित करने के लिए जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

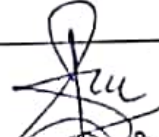
(3)- कंडिका-12 के अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा लैंड बैंक में से भूमि का चयन किया जाना है, तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन किया जाना है।

इस प्रकरण में जिले के लैंड बैंक में से भूमि का चयन किया गया है। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा आवेदन न करते हुए जिला स्तर के अधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि यन विभाग की किसी परियोजना हेतु अंतरित नहीं की जा रही है, बल्कि जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित घोघरी सिंचाई परियोजना की डूब से प्रभावित यन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु यन विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। घोघरी सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक- 22(ए)/ 349-61/2018/एमपीएस/31/1565 दिनांक 04/09/2018 से उक्त परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आवेदन पत्र की कंडिका 7.4 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4)- कंडिका-13 (2) के अनुसार कंडिका-142 में उल्लेखित रीति से सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करके दावे आपतियों एवं सुझाव आमंत्रित किये जाना है। जॉचकर्ता अधिकारी तहसीलदार शाहपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक 27-09-2021 को सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करके दावे आपति आमंत्रित किये गये हैं। निर्धारित समयावधि के भीतर प्रकरण में कोई आपति प्रस्तुत नहीं हुई है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवेदित भूमि हस्तांतरण की सहमति दी गई है।

(5)- कंडिका-13 (3) के अनुसार नजूल अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) के प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा आवश्यक निम्न बिन्दुओं पर उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:-

(क)	तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नहीं ?	नजूल अधिकारी (अ.वि.अ.शाहपुर) के प्रतिवेदन की कंडिका 11.3 के उत्तर अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है।
(ख)	भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन	आवेदित भूमि निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। अ.वि.अ. के प्रतिवेदन (कंडिका 13.1) अनुसार यन विभाग को सिंचाई परियोजना के एवज में वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है। भवन निर्माण न होने से तल क्षेत्र अनुपात के मापदंड लागू नहीं होंगे।
(ग)	आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता	जल संसाधन विभाग द्वारा घोघरी सिंचाई परियोजना स्वीकृत है। आवेदन पत्र की कंडिका 7.4 के अनुसार वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के संबंध में कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है।
(घ)	क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है ?	आवेदित भूमि निवेश क्षेत्र में नहीं है, अतः किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता संभावित नहीं है।


नजूल अधिकारी

एवं सदस्य सचिव,

जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति, बैतूल

.....निरंतर.....

//3//

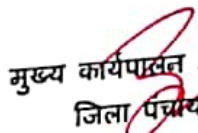
जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति का अभिमत/निर्णय दिनांक 15/12/2021

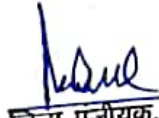
नजूल अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति बैतूल द्वारा प्रस्तुत संक्षेपिका की कंडिका (3) एवं (5) में उल्लेखित वस्तुस्थिति के आधार पर, तथा अन्य समर्थनकारी अभिलेख के आधार पर जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति का विचार निम्नानुसार है :-

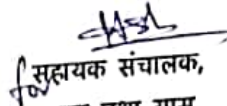
- I. भूमि हस्तांतरण बाबत आवेदन आवेदक विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत न करते हुए वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वन विभाग की किसी परियोजना हेतु भूमि आवेदित नहीं है, बल्कि जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजना की ड्यू से प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को दिया जाना है। घोघरी परियोजना शासन से स्वीकृत है।
- II. भूमि आवंटन पश्चात विभागीय वित्तीय स्वीकृति / वित्तीय व्यवस्था आवेदक विभाग द्वारा किये जाने की प्रत्याशा में प्रकरण में निर्णय लिया जा रहा है।
- III. आवेदित भूमि निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, अतः तल क्षेत्र अनुपात के मापदंड लागू नहीं हैं।
- IV. आवेदित भूमि छोटे, बड़े झाड़ का जंगल मद की भूमि है। निस्तार प्रयोजन हेतु नियुक्त है, निस्तार से पृथक की जा चुकी है।

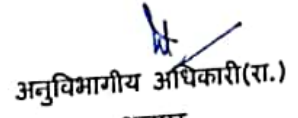
उपरोक्तानुसार विचारोपरांत ग्राम चापड़ा है। तहसील शाहपुर की नजूल भूमि खसरा नंबर 17/1 रकबा 54.140 हे. में से 3.974 हे. भूमि घोघरी सिंचाई परियोजना की ड्यू प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण (क्षतिपूर्ति वनीकरण) हेतु वन विभाग म.प्र. शासन को हस्तांतरण किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।


कलेक्टर
एवं अध्यक्ष,
जिला स्तरीय
नजूल निर्वर्तन
समिति, बैतूल


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,
बैतूल.


जिला पजीयक,
बैतूल.


सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम
निवेश
बैतूल.


अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
शाहपुर

—माधवा रे
क 33
तहसील शाहपुर
ज.नि.क. शाहपुर
जिला बरेilly

न्यायालय कलेक्टर बैरुल (म.प्र.)

अकाउंट क्रमांक 555/अ-20(3)/2021-22
आदेश पारित दिनांक 16/12/2021

नैराश्री मध्यम परिचोपना हेतु

अ.नं 17/1
रकबा 54.40 में से 3.374 हे.

नोट:- काल स्वामी ने इति रकबा आबंदा हेतु
प्रस्तावित है।



Handwritten signature
16/12/21

Handwritten signature

तहसीलदार
शाहपुर

कलेक्टर
बैरुल